

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

पत्रांक:- 792/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक-04.03.2024

प्रेषक,

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

सेवा में,

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी,
सभी मोटरयान निरीक्षक,
तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत।

विषय:-

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा दिनांक 02.03.2024 को निलंबित परमिट वाले 95 वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा दिनांक 02.03.2024 को 15 वर्ष पुरानी वैसे 95 बसों का परमिट जो 100 कि०मी० से अधिक दूरी तक परिचालित हो रही थी, का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाया गया है।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा अपने 15 वर्ष पुरानी वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतः निलंबित परमिट वाले वाहनों की सूची उपलब्ध कराते हुए अनुरोध है कि सूची में अंकित सभी बसों के परिचालन पर रोक सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा उक्त बसों का परिचालन पाये जाने पर आपकी जवाबदेही तय करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही कुल 95 वाहनों के मालिकों को की गयी नोटिस की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि अपने जिला से संबंधित वाहनों का नोटिस अपने स्तर से संबंधित मालिकों को तामिला कराते हुए तामिला प्रतिवेदन पाँच दिनों के अंदर समर्पित करें।

अनुलग्नक :- 95 नोटिस।

विश्वासभाजन,

Signed by Barun Mishra

Date: 04-03-2024 13:36:20

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 697/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

RAMASHISH SHARMA

S/O -CHHATRADHANI SHARMA

AT-NAWALPUR NAWALPUR BETTIAH PASHCHIM CHAMPARAN BIHAR

845438

Mob. No.7479985207


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P9297** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2022-SC-0145A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P9297 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 123 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P9297	25/05/1993	BR2022-SC-0145A	13/01/2027

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 698 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02 / 03 / 2024

प्रेषित,

MRS.SARASWATI DEVI

W/O RAMAKANT MISHRA

SOTIBHERIYAH KANTI MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. No.8051610661


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P0896** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **421/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P0896 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 125 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P0896	01/03/1997	421/2019	13/09/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 699/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

AJEET KUMAR

HARI SINGH

LOMA MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. Not Available


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06D7615** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **352/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06D7615 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 126 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06D7615	23/09/1998	352/2019	09/09/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 700/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

AWADHESH KUMAR

NAND KISHORE SINGH

BHAGWANPUR CHAUK MUZ MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. No.7890000000


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06D9596** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **415/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06D9596 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 127 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06D9596	12/02/1999	415/2019	13/09/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 701 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02 / 03 / 2024

प्रेषित,

RAMAKANT MISHRA

LATE S.P.MISHRA

SOTI BHERIYAH KANTI MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No.8890000000


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06C5996** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **226/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06C5996 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 128 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06C5996	28/07/1999	226/2019	30/05/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 702/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

MANOJ SINGH

RAJENDRA SINGH

BANU CHHAPRA BETTIAH MUFFASIL W.CHAMPARAN PASHCHIM

CHAMPARAN BIHAR 999999

Mob. No.7991127894


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06C4780** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **057/2018** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06C4780 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 129 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06C4780	12/08/1999	057/2018	29/10/2028

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 703 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02 / 03 / 2024

प्रेषित,

SMT.GEETA DEVI

ANIL KUMAR

KESARIA KESARIA E.CHAMPARAN PURBA CHAMPARAN BIHAR 845405

Mob. No.9430412550


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P5608** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **536/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P5608 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 130 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P5608	18/08/2000	536/2019	23/09/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 704/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

SHYAM BIHARI

MAHENDRA NR.CHAUDHAR

KHARAUNA KURHANI MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No.8900000000


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P9813** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **165/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P9813 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 131 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P9813	05/01/2001	165/2019	11/04/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 705/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

JITENDRA KUMAR SINGH

S/O -YUGAL KISHOR SINGH

AT-PARAS PAKDI PS-MAJHAULIA BETTIAH PASHCHIM CHAMPARAN

BIHAR 845454

Mob. No.7004410856


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR22B7321** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **177/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR22B7321 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 132 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR22B7321	17/01/2001	177/2019	11/04/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 706/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

NITESH KR.

S/O -SRI KAUSHAL KISHOR SINGH

AT-PO-PS-PAHARPUR PAHARPUR MOTIHARI PURBA CHAMPARAN BIHAR

845401

Mob. No.9504799488


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR05P2929** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **00069/2014** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR05P2929 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 133 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR05P2929	17/03/2001	00069/2014	19/06/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 707 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02 / 03 / 2024

प्रेषित,

BHOA KUMAR

ANAND PRAKASH

PURANI BAZAR SIKARPUR W.CHAMPRAN PURBA CHAMPARAN BIHAR

999999

Mob. No.7890000000


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P4271** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2021-SC-0277A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P4271 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 134 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P4271	25/06/2001	BR2021-SC-0277A	17/02/2026

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 708/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

RAM SUNDRA RAI

NARSINGH RAI

NAYA TOLA NAYA TOLA MUZAFFARPUR PATNA BIHAR 999999

Mob. No. Not Available


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR1P9503** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **000126/2014** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR1P9503 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 135 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR1P9503	11/07/2001	000126/2014	08/07/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 709 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02 / 03 / 2024

प्रेषित,

V SHARMA

S/O - RAMASHISH SHARMA

AT/PO/PS-NAWALPUR BETTIAH BETTIAH PASHCHIM CHAMPARAN BIHAR

845438

Mob. No.7479985207


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR22B9972** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **263/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR22B9972 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 136 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR22B9972	20/07/2001	263/2019	05/09/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 710/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

SUBODH KUMAR

S/O BINDESHWAR MISHRA

AT- B JAYANARAYAN SILOUT MUZAFFARPUR BIHAR 848101

Mob. No.9852967239


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR33P4879** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **107/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR33P4879 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 137 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR33P4879	01/08/2001	107/2019	11/04/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 711 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02 / 03 / 2024

प्रेषित,

JITENDRA KR SINGH

S/O -YOU GAL KISHOR SINGH

AT-PARAS PAKARI MAJHAULIYA BETTIAH PASHCHIM CHAMPARAN

BIHAR 845454

Mob. No.9431400805


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR22B7521** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **433/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR22B7521 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 138 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR22B7521	07/08/2001	433/2019	12/09/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 712/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

PARMILA SINGH

W/O -BAJAYENDRA SINGH

AT-PARAS PAKARI PO-CHANAYAN BADH PS-MAJHAULIYA BETTIAH

BETTIAH PASHCHIM CHAMPARAN BIHAR 845438

Mob. No.9431400805


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR22P1178** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **178/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR22P1178 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 139 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR22P1178	02/09/2001	178/2019	11/04/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 713/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

AWADHESH KUMAR

NAND KISHORE SINGH

KRISHNAPURI BHAGWANP SADAR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR

842001

Mob. No.8899000000


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06E9696** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **225/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06E9696 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 140 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06E9696	06/11/2001	225/2019	30/05/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 714/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

AJAY KUMAR

S/O C.K. MISHRA

AT-GOPALPUR RAJA BAZAR MOTIHARI MOTIHARI PURBA CHAMPARAN

BIHAR 845401

Mob. No.9546453054


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR05P5993** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **354/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR05P5993 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 141 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR05P5993	10/01/2002	354/2019	09/09/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 715/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

SHEELA MISHRA

W/O M K MISHRA

AT-NARAHAN NIWAS MAGARDAHI SAMASTIPUR SAMASTIPUR

SAMASTIPUR BIHAR 848101

Mob. No.9430998999


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR33P5139** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **106/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR33P5139 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 142 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR33P5139	21/03/2002	106/2019	11/04/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 716/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

PRAVANJAN KUMAR THAK

CHNADRA SHEKHAR THAK

BHAWANIPUR JIRAT MOT BHAWANIPUR E.CHAMPARAN MUZAFFARPUR

BIHAR 842001

Mob. No.8051610661


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06E5996** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **0223/2014** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06E5996 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 143 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06E5996	22/03/2002	0223/2014	06/10/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 717/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

PANKES RANJAN

P.K.MISHRA

RASULPUR ZILANI KAZIMOHHAMDPUR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR

BIHAR 999999

Mob. No.Not Available


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06F0666** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **000188/2014** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06F0666 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 144 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06F0666	02/08/2002	000188/2014	30/09/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 718/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

SMT.YASHBALA DEVI

W/O -ANAND KUMAR JHA

AT-SAGAR POKHRA MANDIR PO/PS-BETTIAH BETTIAH PASHCHIM

CHAMPARAN BIHAR 845438

Mob. No.9661921336


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR22P1358** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2022-SC-0813A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR22P1358 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 145 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR22P1358	24/10/2002	BR2022-SC-0813A	15/04/2027

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 719/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

SARASWATI SHISHU MAN

PRO. OM PRAKASH MASK

MILAN AUTO BODY BUIL KANKERBAGH, PATNA PATNA BIHAR 999999

Mob. No.9430820887


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR1P8394** की आयु **15 वर्ष** से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **472/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या **BR1P8394** की आयु **15 वर्ष** से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक **146** दिनांक **30.01.2024** द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं **15** दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार **15 वर्ष** से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन **100 कि०मी०** से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु **15 वर्ष** होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक **09.02.2024** के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए **10** दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR1P8394	28/12/2002	472/2019	15/09/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से **15** दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 720/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

SMT.GITA DEVI

W/O ANIL KUMAR

KESHARIYA KESHARIYA E.CHAMPARAN PASHCHIM CHAMPARAN BIHAR

845405

Mob. No.9430412550


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P0936** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **538/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P0936 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 147 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P0936	21/05/2005	538/2019	23/09/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 721 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02 / 03 / 2024

प्रेषित,

RAJESH CHAUDHARY

S/O CHANDRIKA CHAUDHARY

AT-TURKAHA

PO+PS+DIST-GOPALGANJ

GOPALGANJ

BIHAR 999999

Mob. No.9430253400


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR28A4971** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **570/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR28A4971 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 149 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR28A4971	25/02/2006	570/2019	30/09/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 722 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02 / 03 / 2024

प्रेषित,

DUSYANT KUMAR

S/O DILIP KUMAR SINGH

KHAIRWA MANIYARI SITAMARHI SITAMARHI BIHAR 843302

Mob. No.8825237929


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR30B8751** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2020-SC-0045A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR30B8751 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 150 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR30B8751	22/03/2006	BR2020-SC-0045A	13/01/2025

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 723 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02 / 03 / 2024

प्रेषित,

MRS.GEETA DEVI

ANIL KUMAR

KESARIA KESARIA E.CHAMPARAN PURBA CHAMPARAN BIHAR 845405

Mob. No.9430412550


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P1819** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **00088/2014** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P1819 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 151 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P1819	28/04/2006	00088/2014	19/06/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 724 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02 / 03 / 2024

प्रेषित,

M/S ANAND TREVELS

M/D ANAND KR.SINGH

KOLHUA DADAR AHIYAPUR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. No.Not Available


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P1966** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **0128/2009** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P1966 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 152 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P1966	17/07/2006	0128/2009	25/05/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 725/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

MANOJ SHARMA

S/O RAMASHISH SHARMA

AT NAWALPUR P PS-JAGAPATTI E CHAMPARAN PURBA CHAMPARAN

BIHAR 842001

Mob. No.9801078112


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P5002** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2020-SC-0269A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P5002 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 153 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P5002	01/09/2006	BR2020-SC-0269A	08/03/2025

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 726/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

VIVEK KUMAR

S/O MURLIDHAR PD.SINGH

ATHARI RUNNISAIDPUR SITAMARHI BIHAR 843111

Mob. No.Not Available


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P2159** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **471/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P2159 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 154 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P2159	01/09/2006	471/2019	15/09/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 727/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

VIDAYA PATI TRIPATHI

LT.JAGDAMA PATI TRIPATHI

BHGWANPUR MUZ MUZ MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No.9308504349


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P2255** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **353/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P2255 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 155 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P2255	21/09/2006	353/2019	09/09/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 728 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02 / 03 / 2024

प्रेषित,

UDAYSHANKER PD.SINGH

LT.DHARMDEV PD.SINGH

SHERPUR BELA SADAR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No.9471665407


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P2516** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/86** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P2516 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 157 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P2516	17/11/2006	BR/106/SC/BUS/2019/86	16/12/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 729 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02 / 03 / 2024

प्रेषित,

RADHE SHYAM TIWARI

VISHWANATH TIWARI

JAY PRAKASH NAGAR CHANDWARA TOWN MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No.7890000000


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P2653** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **564/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P2653 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 158 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P2653	22/12/2006	564/2019	29/09/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 730/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

SMT.USHA DEVI

W/O BHUNESHWAR P.SIN

ASHRAM ROAD RAXAUL RAXAUL E.CHAMPARAN PURBA CHAMPARAN

BIHAR 999999

Mob. No.8980000000


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P2671** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **470/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P2671 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 159 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P2671	26/12/2006	470/2019	15/09/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 731/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

NARESH KUMAR

NAND LAL SAHANI

NAYA TOLA SPEAKER CH KAZIMAHMADPUR MUZAFFARPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. No.8900000000


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P5153** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **290/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P5153 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 160 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P5153	05/01/2007	290/2019	05/09/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 732/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

SMT.RENU MISHRA

DHARAMJEET KR.MISHRA

RASULPUR ZILANI KAZIMAHMADPUR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR

BIHAR 842001

Mob. No.9431475521


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P2887** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **0281/2009** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P2887 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 161 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P2887	26/02/2007	0281/2009	30/07/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 733 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02 / 03 / 2024

प्रेषित,

PRABHAT SINGH

RAJENDRA SINGH

TENGRARI TENGRARI MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. No.9431475712


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P2976** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **356/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P2976 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 162 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P2976	12/03/2007	356/2019	09/09/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 734/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

CHANDESHWAR PATHAK

YADUNANDAN PATHAK

KESHARIA PS KESHARIA PURBA CHAMPARAN BIHAR 845401

Mob. No.9430253400


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P3025** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **562/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P3025 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 163 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P3025	28/03/2007	562/2019	30/09/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 735/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

ARVIND KUMAR RAI

S/O GAGDISH RAI

KARHATIA LALGANJ VAISHALI VAISHALI BIHAR 999999

Mob. No.8890000000


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P3057** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **0345/2009** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P3057 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 164 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P3057	02/04/2007	0345/2009	25/08/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 736/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

KRISHNANDAN MAHTO

UMA SHANKAR MAHTO

KARHARWA SINGHWAHINI SITAMARHI SITAMARHI BIHAR 845405

Mob. No.9709543297


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P3076** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **476/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P3076 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 165 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P3076	09/04/2007	476/2019	15/09/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 737/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

MAHESH KUMAR

LT.YAMUNA PD.THAKUR

BARIDASPUR KANTI MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No.7980000000


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P3074** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **085/2014** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P3074 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 166 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P3074	09/04/2007	085/2014	18/06/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 738/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

ASHOK KUMAR

S/O RADHA MOHAN MAHTO

VILL-GENHARA PO-JAMUNIYA PS-SAHODRA E.CHAMPARAN PURBA

CHAMPARAN BIHAR 999999

Mob. No.8294352111


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P3110** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **076/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P3110 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 167 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P3110	16/04/2007	076/2019	07/04/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 739/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

RAJESH KR SINGH

S/O BALDEV SINGH

AT MAHUA SINGH ROY PO+PS MAHUA VAISHALI VAISHALI BIHAR 844101

Mob. No.8900000000


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P3141** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **000270/2014** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P3141 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 168 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P3141	30/04/2007	000270/2014	08/10/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 740/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

DULARI DEVI

W/O RAM NARESH SINGH

AT PO-CHINTAMANPUR PS-PIPRA EAST CHAMPARAN SARAN BIHAR

841301

Mob. No.9973358430


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR04M3051** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2020-SC-0079A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या **BR04M3051** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 170 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR04M3051	21/05/2007	BR2020-SC-0079A	22/01/2025

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 741 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02 / 03 / 2024

प्रेषित,

SMT.GEETA DEVI

ANIL KUMAR

KESARIYA KESARIYA E.CHAMPARAN PURBA CHAMPARAN BIHAR 999999

Mob. No.8989890000


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P3208** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **537/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P3208 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 171 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P3208	21/05/2007	537/2019	23/09/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 742/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

SMT.POONAM GUPTA

W/O -KAMLESH KUMAR

AT/PO-CHUHADI PS-CHANPATIYA AT-PO-CHUADI BETTIAH PASHCHIM

CHAMPARAN BIHAR 845401

Mob. No.7717753940


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR22P0585** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **14/2014** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR22P0585 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 172 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR22P0585	19/06/2007	14/2014	10/06/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 743 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02 / 03 / 2024

प्रेषित,

IMTYAZ HUSSAIN

S/O -LT AKHTAR HUSSAIN

AT-MANSHA TOLA BETTIAH BETTIAH PASHCHIM CHAMPARAN BIHAR

845438

Mob. No.9934927550


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR22P0605** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR/106/SC/203/2007** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR22P0605 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 173 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR22P0605	27/07/2007	BR/106/SC/203/2007	18/10/2027

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 744 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02 / 03 / 2024

प्रेषित,

SUMUKH SAURABH

KAILASH MISHRA

ALKAPURI BHAGWANPUR SADAR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR

999999

Mob. No.7890000000


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P9696** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2022-SC-0374A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P9696 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 174 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P9696	06/09/2007	BR2022-SC-0374A	20/02/2027

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 745 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02 / 03 / 2024

प्रेषित,

MD.ISODULLAH & OTHERS

ABDUL KALAM

AMODEI RAMGARDHWA E.CHAMPARAN BIHAR 999999

Mob. No.6283781313


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P3656** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **474/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P3656 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 175 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P3656	27/09/2007	474/2019	15/09/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 746/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

PREM KR CHOUDHARY

S/O RAMA NAND CHOUDHARY

67 MARIPUR MUSHHARI FARM MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR

842001

Mob. No.7654324550


विषय:- आपके वाहन संख्या **JH01T9550** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **00244/2014** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या JH01T9550 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 177 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
JH01T9550	02/11/2007	00244/2014	07/10/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 747 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02 / 03 / 2024

प्रेषित,

RAM BABU RAI

RAM NARESH RAI

GURDA GAUSNAGAR RUNNISAIDPUR SITAMARHI SITAMARHI BIHAR

844520

Mob. No.8421986961


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P3861** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2020-SC-0257A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P3861 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 178 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P3861	03/11/2007	BR2020-SC-0257A	08/03/2025

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 748/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

MANOJ KUMAR SINGH

LATE KRISHNA SINGH

VILL SAHWAJPUR PO BHIKHANPUR PS AHYAPUR MUZAFFARPUR BIHAR

842004

Mob. No.8862902732


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P3957** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2023-SC-0269A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P3957 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 179 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P3957	15/11/2007	BR2023-SC-0269A	16/01/2028

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 749/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

UMESH RAI

LT.NAND KISHORE RAI

SAMAUL SAHPUR RUNNISAIDPUR SITAMARHI SITAMARHI BIHAR 999999

Mob. No.7800000000


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P3961** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2020-SC-0289A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P3961 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 180 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P3961	19/11/2007	BR2020-SC-0289A	11/03/2025

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 750/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

PRAKSH CHANDRA SINHA

JAGDISH CHASNDRA SIN

MAJHAULIA RD.RSULPUR KAZIMAHMADPUR MUZAFFARPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. No.9934980993


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P3925** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2023-SC-0281A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P3925 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 181 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P3925	19/11/2007	BR2023-SC-0281A	17/01/2028

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 751 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02 / 03 / 2024

प्रेषित,

MANOJ RAUT

MAHENDRA RAUT

VILL-PUNAURA PO PUNAURA PS PUNAURA SITAMARHI SITAMARHI

BIHAR 999999

Mob. No.8988000000


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P3967** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2022-SC-0199A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P3967 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 182 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P3967	20/11/2007	BR2022-SC-0199A	18/01/2027

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 752/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

MANOJ KUMAR SINGH

S/O RAM DAYAL SINGH

KAHATPUR BALIYA BEGUSARAI BEGUSARAI BEGUSARAI BIHAR 999999

Mob. No.9430065899


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P4116** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR/SC/106/629/2011** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P4116 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 183 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P4116	14/12/2007	BR/SC/106/629/2011	01/10/2026

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 753 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02 / 03 / 2024

प्रेषित,

MITHILESH KR.MISHRA

LT.HEMKANT MISHRA

SAHWAJPUR RIGA SITAMARHI SITAMARHI BIHAR 845401

Mob. No.9934888543


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P4137** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **484/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P4137 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 184 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P4137	14/12/2007	484/2019	15/09/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 754/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

RANDHIR KR SINGH

S/O SHANKAR SINGH

A/P-RAJA BAZAR JEHANABAD VILL-PIRMEKER TOLA DADANPUR MOKAR

SARAN BIHAR 804408

Mob. No.6203375510


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR25A9465** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2022-SC-0878A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR25A9465 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 185 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR25A9465	19/12/2007	BR2022-SC-0878A	19/04/2027

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 755/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

KID Z PUBLIC SCHOOL

M/S USER KID Z PUBLIC SCHOOL

JHAPHAN SITAMARHI ROAD NEAR C R P F CAMP MUZAFFARPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. No.7980000000


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P4324** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **391/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P4324 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 186 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P4324	02/01/2008	391/2019	11/09/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 756/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

SATYA NARAYAN RAI

VINDA RAI

175 GURUDAH GURUDAH SITAMARHI SITAMARHI BIHAR 999999

Mob. No.7890000000


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P4222** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2020-SC-0046A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P4222 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 187 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P4222	02/01/2008	BR2020-SC-0046A	13/01/2025

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 757/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

SMT.VINITA DEVI

MANOJ KUMAR

HN-157 PAHADPUR PAHADPUR E.CHAMPARAN PURBA CHAMPARAN

BIHAR 999999

Mob. No.7800000000


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P4227** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2021-SC-0347A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P4227 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 188 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P4227	02/01/2008	BR2021-SC-0347A	25/02/2026

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 758/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

BINOD SINGH

JAGDISH NR .SINGH

SENWARIYA MAJHAULIA W.CHAMPARAN PURBA CHAMPARAN BIHAR

842000

Mob. No.7488691990


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P4245** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/114** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P4245 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 189 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P4245	10/01/2008	BR/106/SC/BUS/2019/114	26/12/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 759/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

SHATRUDAN THAUR

LT.RAMASHISH THAKUR

MADHAUL KUDHANI MUZAARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. No.8510000000


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P4140** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2020-SC-0011A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P4140 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 190 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P4140	21/01/2008	BR2020-SC-0011A	03/01/2025

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 760/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

HEMA DEVI

W/O -HARI SHANKAR JHA

AT-BELSAND PS-BELSAND SITAMARHI BIHAR 999999

Mob. No.9304705540


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR553625** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2020-SC-0420A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR553625 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 191 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR553625	22/01/2008	BR2020-SC-0420A	16/08/2025

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 761 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02 / 03 / 2024

प्रेषित,

CHANDRAHAS

NAWAL KISHORE SINGH

AKHARAGHAT RD. AHYAPUR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR

999999

Mob. No.9980000000


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P4358** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **340/2013** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P4358 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 192 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P4358	29/01/2008	340/2013	17/07/2028

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 762/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

NEELAM KUMARI

W/O AJIT KUMAR JHA

JAGESHWAR BHAWAN SITAMARHI SITAMARHI SITAMARHI BIHAR 843302

Mob. No.9939061618


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR30B6197** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **0105/2014** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR30B6197 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 193 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR30B6197	29/01/2008	0105/2014	26/06/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 763 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02 / 03 / 2024

प्रेषित,

MANOJ KR RAY

S/O SHIV DAYAL RAY

MAHUA MAHUA VAISHALI VAISHALI BIHAR 844101

Mob. No.9973017410


विषय:- आपके वाहन संख्या **WB25D2989** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR/SC/106/457/2011** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या **WB25D2989** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 194 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
WB25D2989	02/02/2008	BR/SC/106/457/2011	13/07/2026

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 764/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

RAVI RANJAN KR.JHA

HEMCHANDRA JHA

HN-93 BRLSAND BELSAND SITAMARHI SITAMARHI BIHAR 999999

Mob. No.9800000000


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P4425** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **0618/2009** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P4425 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 195 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P4425	09/02/2008	0618/2009	17/11/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 765/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

INDRA MOHAN SINGH

MAHENDRA SINGH

AT- LOHSARI ROAD MAHUA, SINGH RAI PO- MAHUA PS- MAHUA VAISHALI

BIHAR 844122

Mob. No.9430596572


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P4605** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2022-SC-0175A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P4605 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 197 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P4605	29/02/2008	BR2022-SC-0175A	14/01/2027

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 766/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

NARENDRA K.SINGH

LR.S.P.NR.SINGH

SUNDARPUR KESARIA E.CHAMPARAN PURBA CHAMPARAN BIHAR 845405

Mob. No.9835045648


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P4792** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **217/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P4792 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 198 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P4792	27/03/2008	217/2019	23/04/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 767/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

DAMODAR RAY

S/O DEOKI RAY

SHAHPUR MARICHA KUDHANI MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR

842001

Mob. No.7980000000


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P4874** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **364/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P4874 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 200 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P4874	01/04/2008	364/2019	09/09/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 768/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

MANOJ KUMAR

CHANDRA BHUSHAN SINH

PAHADPUR PAHADPUR E.CHAMPARAN PURBA CHAMPARAN BIHAR 999999

Mob. No.7800000000


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P4871** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2021-SC-0424A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P4871 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 201 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P4871	12/04/2008	BR2021-SC-0424A	02/03/2026

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 769/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

SAVITRI MISHRA

SRI UDAY KR.MISHRA

CHHAKAR ROAD KAZIMOHAMADPUR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR

BIHAR 842001

Mob. No.9473212139


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P5039** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR/106/SC/281/2006** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P5039 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 203 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P5039	26/05/2008	BR/106/SC/281/2006	21/12/2026

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 770/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

RAKESH KUMAR

S/O -YOGENDRA SHARMA

AT/PO/PS-LAURIYA LAURIYA BETTIAH PASHCHIM CHAMPARAN BIHAR

845438

Mob. No.7766865601


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR1PA7211** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2023-SC-1450A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या **BR1PA7211** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 204 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR1PA7211	03/06/2008	BR2023-SC-1450A	15/05/2028

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 771 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02 / 03 / 2024

प्रेषित,

SAURAV SINGH

ARVIND SINGH

VILL SAHBAJPUR PO BHIKHANPUR PS AHYAPUR MUZAFFARPUR BIHAR

842004

Mob. No.8877535715


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P5200** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2021-SC-0533A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P5200 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 205 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P5200	04/06/2008	BR2021-SC-0533A	07/03/2026

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 772/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

KRISHNA SINGH

BHUP NARAYAN SINGH

JAGDISHPUR WARD NO-04 JAGDISHPUR PASHCHIM CHAMPARAN BIHAR

845459

Mob. No.9718318109


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P5301** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2023-SC-1830A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P5301 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 206 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P5301	04/06/2008	BR2023-SC-1830A	27/06/2028

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 773 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02 / 03 / 2024

प्रेषित,

SUMANATH SAURABH

KAILASH MISHRA

ALKAPURI SADAR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. No.8294619996


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P5196** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2023-SC-1904A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P5196 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 207 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P5196	11/06/2008	BR2023-SC-1904A	04/07/2028

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 774 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02 / 03 / 2024

प्रेषित,

SANJAY KR.DIWEDI

MURAT DUBEY

ARERAJ GOVINDGANJ E.CHAMPARAN PURBA CHAMPARAN BIHAR 845405

Mob. No.9430826026


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P5294** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **000068/2014** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P5294 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 208 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P5294	16/06/2008	000068/2014	18/06/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 775/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

RAKESH KUMAR JHA

SHIV SHANKAR JHA

VILL-RASULPUR ZILANI MAJHAULIA ROAD PO HPO PS KAZIMDPUR

MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 845401

Mob. No.9709543297


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P5338** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2021-SC-3187A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P5338 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 209 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P5338	30/06/2008	BR2021-SC-3187A	22/12/2026

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 776/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

RAMEKWAL RAI

SIGESHBAR RAI

BHARAULIA BHARAULIA MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. No.7890000000


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P5587** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **0273/2009** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P5587 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 211 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P5587	07/08/2008	0273/2009	26/07/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 777/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

HARIBANSH NR SINGH

S/O R S SINGH

AT BRAHAMPURA PO-MIT MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 842003

Mob. No.9430253400


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P5642** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **14/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P5642 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 212 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P5642	12/08/2008	14/2019	11/04/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 778/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

RAMJIVAN LATH

LATE DWARIKA PD LATH

SURSAND STM SITAMARHI SITAMARHI BIHAR 843331

Mob. No.7783849995


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR30P5181** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **0121/2013** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR30P5181 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 214 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR30P5181	01/09/2008	0121/2013	19/03/2028

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 779 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02 / 03 / 2024

प्रेषित,

SUMUKH SAURABH

KAILASH MISHRA

ALKAPURI, BHAGWANPUR SADAR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR

842001

Mob. No.8294619996


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P5796** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/37** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P5796 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 216 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P5796	19/09/2008	BR/106/SC/BUS/2019/37	10/12/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 780/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

RAJENDRA PRASAD

S/O LT LAXMI PRASAD

PATAURA LAL TOLA MOTIHARI E CHAMPARAN PASHCHIM CHAMPARAN

BIHAR 843111

Mob. No.8656569565


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P5960** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **00215/2014** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P5960 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 219 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P5960	16/10/2008	00215/2014	04/10/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 781 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02 / 03 / 2024

प्रेषित,

RAJENDRA PD

S/O LAXMI PD

AT PATAWRA E CHAMPARAN E CHAMPARAN PURBA CHAMPARAN BIHAR

999999

Mob. No. Not Available


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P5961** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **00213/2014** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P5961 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 220 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P5961	16/10/2008	00213/2014	04/10/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 782/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

SHIV KUMAR LATH

LATE TULA RAM LATH

SURSAND STM SITAMARHI SITAMARHI BIHAR 843302

Mob. No.7783849995


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR30P0198** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR/106/SC/201/2011** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR30P0198 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 221 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR30P0198	17/10/2008	BR/106/SC/201/2011	01/03/2026

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 783 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02 / 03 / 2024

प्रेषित,

SRINATH RAY

RAM SWARTH RAY

CHAINPUR PUPRI SITAMARHI SITAMARHI BIHAR 843320

Mob. No.9201219128


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR30P0199** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **000275/2014** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR30P0199 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 222 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR30P0199	17/10/2008	000275/2014	10/10/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 784/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

RAJIV KUMAR

SHATRIDHAN JHA

AGARVA MOTIHARI E.CHAMPRAN PURBA CHAMPARAN BIHAR 845405

Mob. No.8051610666


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P6046** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **390/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P6046 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 223 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P6046	20/10/2008	390/2019	11/09/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 785/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

SITA DEVI

BINOD PRAKASH KUMAR

DHANAIYA CHHAPRA SAHEBGANJ MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR

842001

Mob. No.9934064674


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P6035** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2023-SC-1634A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P6035 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 224 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P6035	23/10/2008	BR2023-SC-1634A	06/06/2028

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 786/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

RAUSHAN KUMAR

BRAJ MOHAN PRASAD

136, GH, NAVRATANPUR INDRA NAGAR, PO PATNA 20 PATNA BIHAR

999999

Mob. No.8271058373


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR1PA0904** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **194/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR1PA0904 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 225 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR1PA0904	01/11/2008	194/2019	17/04/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 787/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

KEDAR SINGH

S/O LATE YOGENDRA SINGH

CHHATAUINE TARIYANI SHEOHAR SHEOHAR BIHAR 999999

Mob. No.8862902732


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P6636** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2022-SC-1068A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P6636 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 226 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P6636	17/11/2008	BR2022-SC-1068A	01/05/2027

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 788/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

AMARTYA KUMAR

DUSHYANT KUMAR SINGH

WARD NO 12 VILL KHAIRWA PO MANIYARI PS SITAMARHI SITAMARHI

BIHAR 843302

Mob. No.8825237929


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR30C8751** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2021-SC-1336A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR30C8751 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 227 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR30C8751	13/12/2008	BR2021-SC-1336A	15/07/2026

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 789/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

HARIVANS NR SINGH

S/O RAMESHWAR SINGH

AT - SANJAY CINEMA ROAD BRAHMPUTRA MUZAFFARPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 800145

Mob. No.9572827111


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR38B7871** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **148/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR38B7871 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 228 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR38B7871	24/12/2008	148/2019	11/04/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 790/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02/03/2024

प्रेषित,

RAM SURAT RAY

SIGESHBER RAI

BHATOULIA BHATOULIA MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. No.9006244277


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P6707** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **0307/2009** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P6707 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 229 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P6707	09/01/2009	0307/2009	10/08/2024

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 791 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 02 / 03 / 2024

प्रेषित,

NAWAL KISHORE RAI

JAGDISH RAI

RAMPUR HARI MINAPUR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. No.9504954461


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P6961** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2023-SC-0331A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P6961 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 231 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया गया एवं 15 दिनों के अंदर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन कराने का निदेश दिया गया।

विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे। इस संबंध में समाचार पत्र-हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी सूचना प्रकाशित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्रतिस्थापन करा लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन अब तक नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P6961	28/01/2009	BR2023-SC-0331A	23/01/2028

अतएव अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।